<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बलिया।</u>

<u>नालसी सं0 – 1848/08</u>

<u>रामबालक साह बनाम दिनेश साह</u>

<u>07/07/2021</u> अभियुक्त श्रवण साह, की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता रघुवर श्याम सिंह के द्वारा आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया। आवेदन की एक प्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। जमानत आवेदन प्रचालित किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अभियुक्त निर्दोष है यह कि उपर नामित अभियुक्त श्रीमान् के न्यायालय के सिवाय अन्य कोई ऊपरी न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में नियमित या अग्रिम जमानत अर्जी नहीं दाखिल किया है। यह कि उपर नामित अभियुक्त की ओर से उचित पैरवी इस वाद में दिनांक– 04/03/2020 तक हुआ और कोई चूक नहीं किया है। इस वाद का स्थानांतरण दिनांक– 29/05/2020 को हुआ और कोरोना महामारी के चलते इस वाद की अग्रिम तिथि 23/02/2021 की जानकारी इस अभियुक्त को नहीं हुई और कोरोना महामारी के कारण चूक हुई। फलतः अभियुक्त के खिलाफ श्रीमान् द्वारा बंध पत्र निरस्त करते हुए प्रोसेस– 82 सी.आर.पी.सी निर्गत का आदेश हुआ। यह कि उपर नामति अभियुक्त ने जानबूझकर अपने पैरवी में चूक नहीं किया है। ये श्रीमान् के न्यायालय में जानकारी के बाद आज सशरीर उपस्थित होकर जमानत की गुजारिश करते हैं। यह कि उपर नामित अभियुक्त साधन संपन्न व्यक्ति है और श्रीमान् के आदेशानुसार मुचालिका देने को तैयार है और भविष्य में भागने की संभावना नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में उपर नामित अभियुक्त को जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए। बार–बार पुकार के बाद भी परिवादी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह कि अभियुक्त पूर्व में जमानत पर थे। यह कि अभियुक्तगण पर लिये गये संज्ञान में धारा– 506 भा0द0वि0 है। अतः तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्तगण को मो0 5,000 (पाँच हजार रूपया) के एक जमानतदार का बंध–पत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया।

<u>तत्पश्चात्</u>

07/07/2021 उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त श्रवण साह, से मांगे गए रकम का बंध–पत्र एवं वचन बद्धता दाखिल किया गया एवं जमानतदार का भी वचन बद्धता दाखिल किया गया है। जिसे जाँचोपरांत सही पाकर .... किया जाता है।

लेखापित

अ0 मु0 न्या0 दंडा0, बलिया।